न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

बलराम बनाम भगवान सहाय वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्र.नं. – 79/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
26.8.21	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 8.9.21 को पेश हो।	
8-9-2021	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उप./~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 26-10-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
26.10.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– हांसपुर में पेश हुई। वकील वादीगण मय पक्षकारान् उपस्थित। ग्राम पचायंत हासंपुर में आयोजित शिविर में उपस्थित वादीगण संख्या 2 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पहचान श्रीमती बिमला देवी सरपंच ग्राम पंचायत हांसपुर के द्वारा की गई। वकील वादीगण एंव पक्षकारान् ने प्रकरण में समस्त पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण एंव पक्षकारान् के निवेदन पर: प्रकरण में बहस वकील वादीगण एकपक्षीय सुनी गई। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण द्वारा प्र[illegible] पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री [illegible] अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 26/10/21 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः–हांसपुर	लोकेश मुकेश मनोज सैनी भगवान सहाय शंकरलाल सैनी बिमला सरपंच ग्राम पंचायत हांसपुर पं.स. श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.23 17:38:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
79/2021	2021/191	01.07.2021	26.10.2021

उनवान

1. बलराम
2. लोकेश
3. मुकेश
4. मनोज

पुत्रगण स्व0 मोतीलाल, समस्त जाति माली निवासी वार्ड नं. 35 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

वादीगण

बनाम

1. भगवानसहाय उर्फ भगवाना पुत्र श्योबक्स दत्तक पुत्र बिड़दू
2. शंकरलाल पुत्र श्योबक्स
3. रामेश्वरी देवी
4. सन्तोष देवी
5. ओमा देवी
6. प्रेम देवी

पुत्रीयॉ स्व0 श्योबक्स

7. सन्तरा देवी
8. मंजू देवी
9. सुनीता देवी
10. सरोज देवी

पुत्रीयॉ स्व0 मोतीलाल,

जाति समस्त माली निवासी वार्ड नम्बर 35 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

11. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.23 17:38:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत, वादीगण अभिभाषक।

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

श्री तेज सिंह शेखावत, प्रतिवादीगण नं. 1 से 10 अभिभाषक
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी सं. 11

वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक एंव दुरूस्ती रिकार्ड अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीगण की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम खन्नीपुरा पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1034, 1035 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2800 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है एंव तन् ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार हल्का श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 126 रकबा 0.56 हैक्टर की खातेदारी मृत्तक बिड़दा पुत्र कजोड़ के नाम दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 122, 123/1, 125 कुल किता 3 कुल रकबा 1.1800 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर की खातेदारी मृत्तक श्योबक्स पुत्र कजोड़ के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। वादीगण एंव प्रतिवादिगण संख्या 1 ता 10 आपस में एक ही परिवार से है जो सजरा खानदान से स्पष्ट है। उक्त समस्त भूमियों का पक्षकारान् ने पारिवारिक सैटिलमेंट बाहमी बटवारा कर रखा है। जिसके अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1034, 1035 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2800 हैक्टर अकेले वादीगण के हक हिस्सा एंव कब्जा काश्त में आने से वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 भगवाना का नाम हजफ किये जाने एंव तन् ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार हल्का श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 126 रकबा 0.56 हैक्टर का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 एंव 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी से मृत्तक बिड़दू पुत्र कजोड़ का नाम हजफ किये जाने तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 122, 123/1, 125 कुल किता 3 कुल रकबा 1.1800 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 एंव 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी से मृत्तक श्योबक्स पुत्र कजोड़ का नाम हजफ किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 भगवानसहाय उर्फ भगवाना स्व0 बिड़दा उर्फ बिड़दू पुत्र कजोड़ के पास ही रहता था एंव उसकी सेवा सुश्रुषा करता चला आ रहा था। प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.23 17:38:33 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

संख्या 1 की वल्दीयत भूमि की खातेदारी में बिड़दू दर्ज हो गया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य दस्तावेजात में उसकी वल्दीयत श्योबक्स दर्ज है। मृत्तक श्योबक्स पुत्र कजोड़ एंव मृत्तक मोतीलाल पुत्र श्योबक्स की पुत्रीयॉ प्रतिवादिया संख्या 3 ता 10 शादीशुदा होकर स्थायी रूप से ससुराल रह रही है। भूमि खसरा नम्बर 123/2 रकबा 0.06 हैक्टर तन् श्रीमाधोपुर नगरपालिका श्रीमाधोपुर के नाम हो गई जिसमें 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का एंव 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का है। इसलिए उक्त भूमियों की खातेदारी वादीगण अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्तानुसार भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाकर दुरूस्त करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे परन्तु दिनांक 25.6.2021 को इन्कार हो जाने पर उक्त दावा बाबत उद्घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 10 की ओर से श्री तेज सिंह शेखावत एड0 ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में दिनांक 05.07.2021 को राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया है। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 10 के द्वारा वादीगण के पक्ष में इकबाली जवाब दावा पेश कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार कर लिया गया है। प्रकरण में वादी संख्या 2 ता 4 एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत हासंपुर के मजमे–ए–आम में उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से पक्षकारान् के मध्य आपस में पूर्व में राजीनामा हो जाने से राजीनामा न्यायालय द्वारा तस्दीक कराया जा चुका है एंव इस बाबत शिविर में उपस्थित पक्षकारान् ने भी अपनी–अपनी सहमति व्यक्त की है तथा उपस्थित पक्षकारान् ने प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा व वादीगण द्वारा पेश वादपत्र को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब दावा पेश कर दिये जाने से तथा आज आयोजित शिविर में अपनी सहमति प्रदान किये जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन वादीगण अभिभाषक के द्वारा किया गया है।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियॉ वादीगण व प्रतिवादीगण के मृत्तक पिता श्योबक्स पुत्र कजोड़ व मृत्तक बिड़दा पुत्र कजोड़ एंव प्रतिवादी संख्या 1 भगवाना पुत्र श्योबक्स के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.23 17:39:33 IST
Reason: SelfAttested

26/12/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 आपस में एक ही परिवार से है तथा मृत्तक कजोड़ के वारिसान् पौत्रगण–पौत्रीगण ही है। प्रतिवादी संख्या 1 भगवाना उर्फ भगवान सहाय पुत्र श्योबक्स बिड़दा उर्फ बिड़दू के गोद चले जाना सजरा खानदान से स्पष्ट होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैतृक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने मध्य हुए बाहमी बंटवारे अनुसार अपने अपने हक हिस्से में दर्ज खातेदारी भूमियों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम खन्नीपुरा पटवार हल्का हासंपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरानम्बर 1034, 1035 कुल किता 02 कुल रकबा 1.2800 हैक्टर का वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी से प्रतिवादी नं. 1 भगवाना पुत्र बिड़दू का नाम हजफ किये जाने तथा भूमि खसरा नम्बर 126 रकबा 0.56 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर के हिस्सा 1/2 का प्रतिवादी संख्या 1 को व हिस्सा 1/2 का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर उक्त भूमि से मृत्तक बिड़दा पुत्र कजोड़ का नाम हजफ किये जाने एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 122, 123/1, 125 कुल किता 3 कुल रकबा 1.1800 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर के हिस्सा 1/2 का प्रतिवादी संख्या 1 को व हिस्सा 1/2 का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी से मृत्तक श्योबक्स पुत्र कजोड़ का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् ईस्तकरार हक एंव दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम खन्नीपुरा पटवार हल्का हासंपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरानम्बर 1034, 1035 कुल किता 02 कुल रकबा 1.2800 हैक्टर का वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि की [illegible] से प्रतिवादी नं. 1 भगवाना पुत्र बिड़दू का नाम हजफ किया जाता है [illegible] रकबा 0.56 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर के हिस्सा 1/2 का प्रतिवादी संख्या 1 को [illegible] हिस्सा 1/2 का प्रतिवादी संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.23 17:38:33 IST
Reason: SelfAttested

2/12/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि से मृत्तक बिरदा पुत्र कजोड़ का नाम हजफ किया जाता है एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 122, 123/1, 126 कुल किता 3 कुल रकबा 1.1800 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर के हिस्सा 1/2 का प्रतिवादी संख्या 1 को व हिस्सा 1/2 का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि की खातेदारी से मृत्तक श्योबक्स पुत्र कजोड़ का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जाँच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे । इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

26/10/21

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैम्पः— हांसपुर

यह निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान—2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायतः— हांसपुर के मजमे—ए—आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.23 17:38:33 IST
Reason: SelfAttested

26/10/21

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैम्पः— हांसपुर